पत्र संख्या–ए/मु0–44–03/2015......................../

स्पीड पोस्ट/फैक्स

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में

जिला पदाधिकारी
अरवल

पटना, दिनांक–............ मार्च, 2016

विषय :– दिनांक–18.05.1995 को स्व0 देवनन्दन सिंह की हत्या संग्राम समिति (उग्रवादी संगठन) के द्वारा किए जाने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक–1701 दिनांक–21.09.1987 में निहित प्रावधानान्तर्गत मृतक के आश्रित पुत्रों 1. श्री हरदेव सिंह एवं 2. श्री नागदेव सिंह– दोनों ग्राम–जोन्हा, थाना–करपी, जिला–अरवल को अनुग्रह अनुदान की राशि दस–दस हजार रूपये यानी कुल राशि ₹ 20,000/– (बीस हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, अरवल के स्वीकृत्यादेश/पत्रांक–162/सा0 दिनांक–17.03.2016 के क्रम में आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, अरवल को पूर्व में आबंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, अरवल को वर्त्तमान में आबंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, अरवल को कुल आबंटित राशि।
₹ 20,000/– (बीस हजार रूपये) मात्र	₹ 20,000/– (बीस हजार रूपये) मात्र	₹ 40,000/– (चालीस हजार रूपये) मात्र

महाशय,

उपरोक्त आबंटित राशि ₹ 20,000/– (बीस हजार रूपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में मांग संख्या–22 के अन्तर्गत बजट शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम–उप शीर्ष–0004–दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (विपत्र कोड संख्या N2235602000004) के अन्तर्गत यूनिट कोड–31 02 वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. जिला पदाधिकारी, अरवल कृपया यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अनुग्रह–अनुदान की राशि का भुगतान मृतकों के आश्रित को समुचित पहचान कर की गई है। राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाएगा।

3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, अरवल होंगे।

4. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, अरवल से की जायगी।

5. यह आबंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, अरवल की होगी।

कृ0पृ0उ0

6. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा मात्र उक्त पीड़ित व्यक्ति/मृतक के आश्रित/आश्रिता को अनुग्रह–अनुदान/मुआवजा के रुप में भुगतान में उपयोग किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।

7. जिला पदाधिकारी, अरवल का यह दायित्व होगा की भुगतान की गयी राशि का व्यय–विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को ससमय यानि वित्तीय वर्ष 2015–16 के समाप्ति के पूर्व निश्चित रुप से उपलब्ध करा देंगे।

8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति के पूर्व गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रुप से कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–03/2015........................../ पटना, दिनांक–..........मार्च, .2016

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–03/2015........................../ पटना, दिनांक–..........मार्च, .2016

स्पीड पोस्ट फैक्स

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, अरवल/वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–03/2015........................../ पटना, दिनांक–..........मार्च, .2016

प्रतिलिपिः–उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा 'ए' गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–03/2015..2826......................../ पटना, दिनांक–..19........मार्च, .2016

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 19.03.16

सरकार के विशेष सचिव